

ISSN : 2456-8856

पंजीयन संख्या RNI No.: MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2021-2023 उज्जैन (म.प्र.)

UGC Care Listed and Peer Reviewed Referred Bilingual Monthly International Research Journal
प्रेषण दिनांक 30 पृष्ठ संख्या 28

आश्वस्त

वर्ष 25, अंक 235

मई 2023



नमो बुद्धाय

संपादक - डॉ. तारा परमार



भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

संस्थापक सम्पादक

डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक

सेवाराम खाण्डेकर

11/3, अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श

आयु. सूरज डामोर IAS

पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक

डॉ. तारा परमार

9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :

डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली

डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात

डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात

डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

Peer Review Committee

डॉ. श्रवणकुमार मेघ, जोधपुर(राजस्थान)

प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर, मुंबई (महाराष्ट्र)

प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, उज्जैन (म.प्र.)

डॉ. बी.ए.सावंत, सांगली (महाराष्ट्र)

कानूनी सलाहकार

श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	अपनी बात	डॉ. तारा परमार	03
2.	Maritime History : A History from below	Saurabh Mishra Research Scholar	04
3.	भारत में आदिवासी महिला शिक्षा विकास की नीतियां एवं उसके प्रभाव	डॉ. देवीप्रसाद सिंह(सहा. प्राध्यापक) अनुज कुमार पाण्डेय (शोधार्थी)	09
4.	Tribal Panchayat System in Telangana State- An Overview	Dr. Basani Lavanya	12
5.	भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. मोहनलाल आर्य	17
6.	पेरियार ई.वी. रामासामी का एक तमिल, राष्ट्रवादी और समाज सुधारक के रूप में विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन	अनुराधा गुंजन त्रिपाठी	21
7.	दलित संदर्भ और 'क्रौंच हूँ मैं'	डॉ. दिलीप मेहरा	24

UGC Care Listed Journal

खाते का नाम - आश्वस्त (Ashwast)

खाते का नं.- 63040357829

बैंक - भारतीय स्टेट बैंक,

शाखा- फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)

IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com

E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	:	रुपये 20/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 200/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	:	रुपये 2,000/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 20,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

अपनी बात

तथागत बुद्ध लोगों को जो सिखाते थे उसे वे बौद्ध धर्म नहीं कहते थे बल्कि वे 'सद्धर्म' अथवा धम्म ही कहते थे। भगवान बुद्ध ने तन-मन, जीवन और जगत के विषय में प्रकृति के विधि-विधान को ही 'धम्म' कहा था। बुद्ध के अनुसार प्रकृति का वह कानून जो समान रूप से संसार के सभी प्राणियों पर लागू होता है, वही धम्म है। जिसे अणु-अणु धारण किये हुए तथा जो अणु-अणु को धारण किये है, वही 'धम्म' है।

तथागत बुद्ध ने मनुष्य को अपने उपदेशों का केन्द्र बनाकर उसकी और उसके जीवन की समस्याओं का विश्लेषण तथा उनका समाधान प्रस्तुत किया। बुद्ध को धर्म का वैज्ञानिक कहा जाता है। वे धर्म के प्रथम वैज्ञानिक थे। उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से तन-मन, जीवन और जगत के विषय में अनुसंधान तथा तार्किक विश्लेषण किया, जो आज भी कर्मकाण्डों, नर एवं पशु बलि, यज्ञ, नदी-पोखर में स्नान, पूजा, प्रार्थना, व्रत-उपवास आदि से चित्त की शुद्धि होने के मिथ्या विश्वास संबंधी मूढ़ मान्यताओं से अपने अनुयायियों को सदैव दूर रखा। उन्होंने बताया कि हमारे सुख-दुःख का कारण कोई बाहरी सत्ता या शक्ति या देवी-देवता को प्रसन्न करने के बजाय मन की एकाग्रता और चित्त की विशुद्धि की आवश्यकता है। उनका शाश्वत कथन है कि विचार में परिवर्तन के बिना आचरण में परिवर्तन असंभव है। सभी प्राणियों एवं मनुष्यों का मन समान रूप से कार्य करता है तथा इस जीवन और जगत पर उसका समान प्रभाव पड़ता है। अतः मनुष्यों को जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, देश, काल एवं भौगोलिक स्थितियों में विभाजित करके देखना उचित नहीं है। भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्य-दुःख का कारण, निवारण और उसका उपाय, आर्य आष्टांगिक मार्ग अर्थात् सम्यक् दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि और प्रातीत्य समुत्पाद अर्थात् कार्य-कारण सिद्धांत की देशना दी। उनके मूल सिद्धांतों में ईश्वर की कल्पना को कोई स्थान नहीं था। वे कहते हैं- 'अत्ता हि अत्तनो नाथो' आप ही अपने स्वामी हो, आप ही अपनी गति हो। अपने अच्छे और बुरे के लिये तुम स्वयं ही तो

जिम्मेदार हो। इसलिये अपना दीपक आप बना। यानी

अपने ज्ञान की ज्योति जलाओ। बुद्ध के त्रिशरण सूत्र जागने का मूल मंत्र है। जागने की कोशिश ही धर्म मार्ग पर आरूढ़ होने की प्रक्रिया है। जागने का मार्ग ही योग है-यानी जो भी कृत्य करो पूरे होश-हवाश के साथ करो, यही कर्मयोग है। जागने की विधि का नाम 'ध्यान' है। जागना ही एकमात्र 'प्रार्थना' है। जागना ही एकमात्र 'उपासना' है। जागा हुआ मानव स्वयं में अपनी ही झलक पाता है- 'वन इन आल।' और सबको अपने में समाहित करके जीता है- 'आल इन वन'-यही शास्त्रों की घोषणा है।

उन्होंने इन्द्रियों पर संयम, मन-वचन-कर्म, संकल्प, जीविका, प्रत्यन, स्मृति और समाधि में अहिंसक होने की शिक्षा दी और वासना, क्रोध, मोह, भ्रम, दुःख आदि को अग्नि के समान विनाशकारी बताया। सुख-दुख की अति से बचने के लिए मध्यम मार्ग का संदेश देकर शील, समाधि और प्रज्ञा को व्यावहारिकता की कसौटी पर कसने की प्रेरणा दी। समाज को विक्षिप्तावस्था से उठाकर व्यक्ति, राष्ट्र और विश्व प्रेम, शांति व बंधुत्व की भावना को उजागर किया और समस्त मानवता को सद्धर्म की शिक्षा दी।

बुद्ध की समस्त शिक्षाएं वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरी हैं। उनके सभी आदर्शों का मूलभूत सिद्धांत है-समानता, मानवता, करुणा, मैत्री, भाईचारा, सद्भाव, मुदिता, अहिंसा, न्याय, भावनात्मक एकता, सामूहिक विकास और परस्पर समन्वय की भावना। बौद्ध धर्म का मंत्र है-विश्व में शांति रहे। विश्व में केवल बौद्ध धम्म ही एकमात्र ऐसा प्राचीन धम्म है जिसमें 'पंचशील' का पालन करने का वचन लिया जाता है और समस्त प्राणी जगत के कल्याण की कामना की जाती है- 'सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमिनो, सब्बे भद्राणि पिससन्तु मा कच्चि दुक्ख मागमा।' तथागत गौतम बुद्ध ने संघ के सभी भिक्षुओं को आदेश दिया कि- 'चरथ लोकानुकम्पाय' अर्थात् जाओ भिक्षुओं! जन-जन के कल्याण के लिये और जन-जन के सुख के लिए विचरण करो।

नमो बुद्धाय!

- डॉ. तारा परमार

Maritime History : A history from below

- Saurabh Mishra Research Scholar

Abstract-

The genre of history writing has evolved in many ways during the last century. From a mere reproduction of the life and events of emperors and courtesans, history had firmly established itself as an autonomous scientific discipline which is more empirical and employs several other auxiliary disciplines and techniques in its manuals of methodology in order to produce a 'total history'. This paper throws light on one such subset of history maritime history and discusses the future prospects of writing a maritime history of India or the history of Indian Ocean.

Keywords- Maritime history; historio- graphy; Indian Ocean; maritime trade

Introduction-

Ideas about history and historiography have undergone a profound change in the past few decades. While traditional historiography focused on individuals, especially “great men” as the subject matter of history, the new forms of social-science-oriented history emphasized more on social structures and processes of social change. In this

sense social science approaches whether Marxist, Annalist, or Subaltern, represented a democratization of history, an inclusion of broader segments of the population, and an extension of the historical perspective from politics to society. This led to the development of concepts of 'history from below' and 'total history'.

Maritime history is a broad theme which includes within its ambit issues such as commerce at sea, shipbuilding, port development, human migration and diaspora and many other issues of sea transportation. A student who pursues the theme may approach it from a variety of vantage points including science, technology, industry, economics, trade, politics, art, literature, ideas, sociology, military and naval affairs, international relations, cartography, comparative studies in imperial and colonial affairs, institutional and organizational development, communication, migration, inter-cultural relations, natural resources and so on. In short, maritime history is a humanistic study of the many dimensions in man's relationship with the sea (Hattendorf, 1995,p.5).

One of the main problems for maritime historians is the need to see events at sea in terms of a variety of perspectives. For example, a ship that was built in a particular country was a product of certain national, political, economic, social, technological and industrial factors. When the same ship sailed at sea, it entered a different realm with an international dimension that may involve such additional factors as wars, cross-cultural relations, imperial competition, scientific research, and the exchange of goods or the accumulation of capital through international trade. Moreover, the experiences which sailors gained from the long sea voyage were reflected back into the land-based societies as sailors returned from the sea and thus the maritime affairs acted as a channel of development. (Hattendorf, 1995, p.6).

The development of maritime networks have linked different societies and civilizations together, providing conduits for the exchange and distribution of goods, the projection of political and economic power and the diffusion of ideologies and culture. (De Souza, 2002, p.4)

Birth of Maritime history-

Although there have been

several travelogues written from the ancient period by sailors and merchants but Maritime history emerged as a sub-discipline of history in the 1950s in France by the efforts of Annales School. A pioneer in this field was Fernand Braudel who through his masterpiece '*The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*' (1949) laid the foundations of maritime history. His model was followed by Pierre Chaunu who took the Atlantic as his subject. His twelve-volume study (1955-60) centers on the rise and fall of the trade between Seville and the New World of the America from 1501 to 1650.

Present-day maritime history does not deal only with the great, the well-known or the successful. Those who currently study the history of the sea tend to focus instead on the millions of anonymous mariners, port-related workers and entrepreneurs on the high seas and ashore; countless cargoes consisting mainly of food products like grain, salt and fish; exotic and tropical products like spices, sugar and bananas; raw materials like cotton, coal and iron ore; and forced and voluntary passengers like slaves, convicts and migrants (Harlaftis and Vassallo, 2004, p2)

Maritime history of Indian Subcontinent- An Overview

Having discussed about the subject-matter and prospects of writing maritime history at length, it will not be in vague to discuss the predicaments and possibilities of producing a Maritime history of Indian subcontinent and the major themes that it will deal with. India has a rich maritime history dating back 5000 years. The world's first tidal dock is believed to have been built at Lothal around 2300 BCE during the Indus Valley Civilization on the Gujarat coast. A compass, Matsya yantra, was used for navigation in the 4th and 5th century AD. The words 'navigation' and 'navy' are derived from Sanskrit words 'Navgatih' and 'Nou' respectively. Boat-making and ship-building industries were found in India since ancient times.

As interest in maritime history has evolved, Indian Ocean studies represents a relatively recent and exciting development, emerging from the invaluable historical revisionism of Michael Pearson, Ashin Das Gupta, Sinnappah Arasaratnam, Himanshu P. Ray, Sugata Bose, K.N. Chaudhuri, Gwynn Campbell, Randall Pouwells, Kenneth McPherson, Ed Simpson, Eric

Gilbert, John Hawley, and many others. Indian Ocean studies reveal what John Hawley describes as 'subaltern cosmopolitanism.' Its merchants and laborers circulated on its rim and across its waters, from time immemorial, as recorded for instance in the Greek Periplus of the Erythraean Sea (circa first century AD), and continue to do so today. Its more wretched travellers assimilated, to leave trace communities such as the Sidis in India and the Bombay Africans of Mombasa. Ship-building and navigation in the Indian Ocean formed other important themes of this period, to which the works of B. Arunachalam, K.S. Mathew and Lotika Varadarajan could be added as major contributions.

It will not be superfluous if we regard Indian Ocean as the 'cradle of civilization' because in the 3rd millennium BC it saw the establishment of three riverine civilizations - the Egyptian civilization, the Mesopotamian civilization and the Harappan civilization. Archaeological research at sites in Mesopotamia (Iraq), Dilmun (Bahrain) and Magan (Oman) has led to the discovery of stamp seals, stone weights and colourful carnelian beads, which corroborate these references.

More evidence of the maritime capacities of the Harappans is implicit with the sites of Lothal and Dholavira in Gujarat.

This maritime development continued in the Indian subcontinent in the Vedic and post-Vedic era also. The Magadha Empire under King Bimbisara of Haryanka dynasty, extended up to eastern coast, and thus trade relations started with south-East Asia. Maritime trade with Greece and Rome flourished in the Mauryan and Kushan- Satavahana dynasty. The major ports during this era include Puhar, Tyndis and Muziris. This marine development reached its zenith under the powerful Cheras, Cholas and Pandyas in peninsular India. The Cholas under powerful king Rajaraja Chola and Rajendra Chola conquered island nations in the southern Indian Ocean as well as parts of Malaysia, Indonesia and southern Thailand. Prominent port-towns during this period were Calicut, Pattanam, Tuticorin and Mamallapuram. This was also a golden period when Indian culture, philosophy, governance, science, art, architecture and religion influenced the world and vice-versa.

Although the Indian subcontinent possessed such a rich maritime heritage but there are only few instances and records of shipping industries, merchants, fishing and sailing communities in early historical

accounts. Although a few literary sources such as Tamil literature provide graphic accounts of fishing and sailing communities. Similarly the travelogues and accounts of Greco-Roman historians provide ample evidence in this regard such as Periplus of Erythraen Sea, Historia Naturalis by Pliny, and voyage account of Nearchus etc. Perhaps it is the time that similar data is sought in historical and archeological sources also.

Early efforts by Radhakumud Mukherji in this field are praiseworthy when he wrote his famous book entitled 'Indian Shipping' which traces the history of the sea-borne trade and Maritime activity of the Indians from the earliest times.

Conclusion-

It is thus evident that the Indian Ocean presents special problems for the historian and the archaeologist. It is perhaps time to support and promote Indian Ocean studies at various levels of the academic system. Early efforts made by the SAARC countries and studies on South Asia are showing fruitful results in this direction. It's time to intensify such works in ensuing research in order to make maritime history an established genre.

- Saurabh Mishra

(Research Scholar,

Department of Medieval
and Modern Indian History,

University of Lucknow)

Mob. 9473595235

References :

- Alpers, E.A. (2014) *The Indian Ocean in World History*. New York: Oxford University Press.
- Chaudhuri, K.N. (1985) *Trade and Civilization in the Indian Ocean: An Economic History from the rise of Islam to 1750*. Cambridge University Press.
- Cobb, M.A. (2019) *The Indian Ocean Trade in Antiquity: Political, Cultural and Economic Impacts*. New York: Routledge.
- De Souza, P. (2002) *Seafaring and Civilization- Maritime Perspectives on World History*. London: Profile Books.
- Gupta, A.D. (1984) The Maritime Merchant and Indian History. *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 7:1, 27-33,
- Gupta, A.D. (1985) *Indian Merchants and Western Indian Ocean: The Early Seventeenth Century*. *Modern Asian Studies*, 19, pp.481-499
- Gupta, A.D. and Pearson, M.N. (ed.) (1987) *India and the Indian Ocean*. New York: Oxford University Press.
- Gupta, U.D. (2001) *The World of the Indian Ocean Merchant 1500-1800*. In collected Essays of Ashin Das Gupta, p.280
- Harlaftis, G. and Vassallo, C. ed. (2004) *New Directions in Mediterranean Maritime History. Research in Maritime History*, no.28. Newfoundland: International Maritime Economic History Association.
- Hattendorf, J.B. (1995) *Doing Naval History- Essays toward Improvement*. Newport: Naval war College Press.
- Khandpekar, N. (2018) *India's Maritime History: Sea-faring groups and Maritime Icons*.
- Mookerji, R. (1912) *Indian Shipping: A history of the Sea-borne Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earliest times*. London: Longmans, Green and Co.
- Pearson, M.N. (2003) *The Indian Ocean*. London: Routledge.
- Ray, H.P. (2000) *The Indian Ocean in Antiquity: whither Maritime History?* In *Topoi*, vol. 10/1, 2000, pp. 335-52
- Ray, H.P. (2011) *Writings on the Maritime History of Ancient India*. In Sabyasachi Bhattacharya ed. *Approaches to History: Essays in Indian Historiography*, Indian Council of Historical Research and Primus Books, pp.27-54

भारत में आदिवासी महिला शिक्षा विकास की नीतियां एवं उसके प्रभाव

डॉ. देवी प्रसाद सिंह

सहायक प्राध्यापक,

— अनुज कुमार पाण्डेय

शोधार्थी

सारांश

समाज के किसी भी अंग के उत्थान में उस समाज की नीतियों और कार्यप्रणाली का मुख्य योगदान रहता है। भारत जैसा देश जो 200 वर्षों तक गुलामी सहने के बावजूद भी वर्तमान में वैश्विक शक्ति के रूप में अपने आपको स्थापित किये हुए है, उसी देश का एक समुदाय इतना उपेक्षित जीवन जी रहा है। क्या कारण है कि इतनी सफल योजनाओं के क्रियान्वयन के बावजूद भी हम आदिवासी समुदाय के पिछड़ेपन को खत्म नहीं कर पाए। प्रस्तुत शोध पत्र में इन्हीं बिंदुओं को लेकर विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे।

मुख्य शब्द — विकास, अनुसूचित-जनजाति, योजनाएँ, नीतियाँ, आदिवासी समुदाय।

भारत में अनुसूचित जनजाति — भारत में आदिवासी या अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या का लगभग 8.2% है। इनकी अधिकांश जनसंख्या ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल में रहती है। इन राज्यों में कुल अनुसूचित जनजाति की 80% जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है। 0.56% इसके बाद तमिलनाडु में 1.1% तथा बिहार में 1.28% है।

संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जनजातियों की विशेष जरूरतों को समझते हुए उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ खास प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के अलावा इस समुदाय को शोषण से बचाना भी है। नागरिकों के मौलिक अधिकार उनका समग्र विकास सुनिश्चित करते हैं। साथ ही संविधान में निरूपित राज्य की नीति-निर्देशक सिद्धांत सरकार को

ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जिसमें नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर अनुसूचित जनजाति बहुल वाले क्षेत्रों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए सांविधानिक प्रावधानों का उल्लेख निम्नलिखित है।

अनुच्छेद-14 कानून की नजर में समानता या सभी को कानूनी सुरक्षा।

अनुच्छेद-15 सरकारें धर्म नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगी

अनुच्छेद-15(4) सरकारें अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े तबकों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष प्रावधान कर सकती है।

अनुच्छेद-16(4) सरकारें नियुक्तियों या पदों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है।

अनुच्छेद-38 सरकारें सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित और संरक्षित कर जन सामान्य के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी।

अनुच्छेद-46 सरकारें अनुसूचित जनजातियों समेत सभी कमजोर तबकों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देंगी।

अनुच्छेद-164(1) बिहार मध्यप्रदेश और उड़ीसा जैसे अनुसूचित जनजातियों की बड़ी आबादी वाले राज्यों में एक जनजातीय कल्याण मंत्री होगा।

अनुच्छेद-275(1) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को सुधारने के लिए अनुदान।

अनुच्छेद-330 / 332 / 335 लोकसभा, विधानसभा और सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।

अनुच्छेद-340 सरकार सामाजिक और शैक्षिक

तौर पर पिछड़े तबकों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त करेगी।

अनुच्छेद-342 सरकार जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजातियों के तौर पर चिन्हित करेगी।

अनुच्छेद-275(1) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए भारत के समेकित कोष से हर साल अनुदान जारी किए जाएंगे।

अनुसूची (पांचवीं) – अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातीय सलाहकार परिषदों के गठन के लिए निर्देश यह परिशते जनजातीय समुदाय के कल्याण से संबंधित मसलों की निगरानी करेगी और उपयुक्त सलाह देगी। अनुच्छेद-244(1)

अनुसूची(छठी) – असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कुछ खास इलाकों को स्वायत्त जिले या स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर तथा जिला परिषद के गठन के जरिये अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद-244(2)

संविधान संशोधन (73 वां और 74 वां संशोधन तथा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून 1996 पेसा)— अनुसूचित जनजातियों को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम इन समुदायों को अपनी ही पहल कदमी हो के जरिये खुद के हितों और कल्याण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया गया। पेशा संभावनीय स्वायत्त जनजातीय शासन सुनिश्चित करने के लिये संवैधानिक कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करता है।

अन्य प्रमुख योजनाएं –

● **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)**

समग्र शिक्षा के तहत, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित लड़कियों के लिए छठी से बारहवीं कक्षा तक के आवासीय विद्यालय हैं। केजीबीवी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (ईबीबी) में स्थापित किए जाते हैं जहां महिला

ग्रामीण साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है।

● **नेताजी सुभाष चंद्र बोस (एनएससीबी) आवासीय विद्यालय**

नेताजी सुभाष चंद्र बोस (एनएससीबी) आवासीय विद्यालय और समग्र शिक्षा के तहत उन मुश्किल भौगोलिक इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में कम आबादी वाले, या पहाड़ी और घने जंगलों में बच्चों तक पहुँचने के लिए छात्रावास बनाए जाते हैं, जहां नए प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना और माध्यमिक/ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व्यवहार्य नहीं होते हैं।

● **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)**

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत वर्ष 1997-98 में दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें। स्कूल न केवल अकादमिक शिक्षा पर बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रत्येक स्कूल में 480 छात्रों की सामान्यतः क्षमता होती है, जो छठी से बारहवीं कक्षा के छात्रों को पूरा करता है।

● **एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (ईएमडीबीएस)**

जिन उप-जिलों में अनुसूचित जनजाति की आबादी का घनत्व 90 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर, एकलव्य मॉडल दिवस बोर्डिंग स्कूल (ईएमडीबीएस) को प्रायोगिक आधार पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जा सकें।

● **आकांक्षी जिला कार्यक्रम**

जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य देश भर के 112 सबसे कम विकसित

जिलों को तेजी से और प्रभावी ढंग से बदलने का लक्ष्य है। इनमें से अधिकांश जिले आदिवासीबहुल हैं। स्कूली शिक्षा भी इस कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में से एक है। शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग, कार्यात्मक पेयजल सुविधा, कार्यात्मक बिजली सुविधा जैसे बुनियादी ढांचे तथा आरटीई निर्दिष्ट छात्र-शिक्षक अनुपात जैसे आवश्यक पैरामीटर उपलब्ध कराकर इन जिलों में सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और जनजातीय शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी), एलडब्ल्यूई, विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफडी) और 112 आकांक्षी जिलों को वरीयता देकर वहाँ विशेष सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं।

- 3 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चों को आरंभिक शिक्षा सुनिश्चितकरने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आदिवासी-बहुल क्षेत्रों की आश्रमशालाओं में चरणबद्ध तरीके से वैकल्पिक स्कूली शिक्षा के सभी प्रारूपों में ईसीसीई की शुरुआत की जाएगी।

- एनईपी पैरा 4.16 के अनुसार देश का कक्षा 6-8 में प्रत्येक छात्र 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत भारत की भाषाएँ पर एक मनोरंजक परियोजना/ गतिविधि में भाग लेगा।

- एनईपी पैरा 6.2.3 में कहा गया है कि आदिवासी समुदायों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को विभिन्न ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के कारण कई स्तरों पर नुकसान का सामना करना पड़ता है।

- एनईपी पैरा 6.17 के अनुसार रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में, राज्य सरकारें आदिवासी- बहुल क्षेत्रों में स्थित अपने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी विंग खोलने को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

एनईपी शिक्षकों को शिक्षा और शिक्षण पद्धति के

अद्यतनज्ञान के साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार सहित आदिवासी परम्पराओं के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता पर बल देती है।

निष्कर्ष

सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर हमेशा जोर दिया गया है। लेकिन राज्यों में इस दिशा में हुई प्रगति में काफी असमानता है। आंकड़ों से जाहिर है कि अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जनजाति आर्थिक तौर पर ज्यादा पिछड़ी हैं। अनुसूचित जनजातियों की गरीबी रेखा से नीचे की ज्यादातर आबादी भूमिहीन खेतिहर मजदूर की है। उनके पास उत्पादक संपत्तियां बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं हैं। सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं की पहचान करते हुए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलकदमियों के जरिए उनके समाधान के तौर-तरीके तैयार किए हैं। जनजातियों की भागीदारी पर आधारित स्वशासन की एक ऐसी प्रणाली को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है जिसमें इस समुदाय के सदस्य संसाधनों का खुद प्रबंध कर अपनी नियति स्वयं निर्धारित करें। इससे जनजातियों का उनकी भागीदारी और उनके प्रबंधन वाली विकास प्रक्रिया में सशक्तीकरण होगा। उचित स्थानों पर प्राइमरी स्कूलों और आवासीय विद्यालयों जैसी शैक्षिक अधोसंरचना के निर्माण का कदम सराहनीय है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के युवाओं की योग्यता और ज्ञान के आधार को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए। आदिवासी समुदाय का बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए छोटे वनोपजों और कम उत्पादकता वाली कृषि पर निर्भर करता है। लिहाजा, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने तथा जनजातीय उत्पादों को संवहनीय ढंग से बाजार से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। आखिरी महत्वपूर्ण बात यह कि अनुसूचित जनजातियों के उत्थान की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय सहयोग, तालमेल और एकजुटता की आवश्यकता है।

अनुज कुमार पाण्डेय
शोधार्थी, शिक्षा विभाग
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय
विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)
मो. 9415821205

डॉ. देवी प्रसाद सिंह
सहायक प्राध्यापक, शोध निदेशक
शिक्षा विभाग इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, प्रयागराज (उ.प्र.)

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. Bhasin, Veena. Status of Tribal Women. Available from <http://nsdl.niscair.res.in/jspui/bitstream/123456789/160/1/12.6PDFStatus%20of%20Tribal%20Women-Final.pdf> [Accessed 3rd April, 2014].
2. Chanda, Anuradha. Tribal Women. In Bagchi, Jadodhara (ed.) The Changing Status of Women in West Bengal, 1970-2000 The Challenge Ahead, New Delhi. Sage Publication. 2005. Pp 130-144.
3. Eleventh Five Year Plan, Volume I, II, and III, Planning Commission, Government of India, Yojana Bhawan, Sansad Marg, New Delhi.
4. http://www.censusindia.gov.in/DigitalLibrary/Archive_home.aspx.
5. Indian Scheduled Tribes [Online]. Available from http://www.indianetzone.com / 37 / indian_scheduled_tribes.htm [Accessed 21st November 2014].
6. Jayapal. H.R, Scheduled Tribes, Assistant Professor of Sociology, KSOU, Mysore.
7. Pujasree Chatterjee, International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2014, Vol. 2, No.2, 55-60.
8. Seventh Five Year Plan. Vol.2 Socio-economic programmes for scheduled castes and scheduled tribes. [Online]. Available from <http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/7th/vol2/7v2ch15.html> [Accessed 14th May, 2014].
9. Status of Women in Tribal Society of India -Essay [Online]. Available from <http://www.yourarticlelibrary.com/society/status-of-women-in-tribal-society-of-india-essay/4413/> [Accessed 28th November 2014].
10. The constitution of India, 2015, Government of India ministry of law and justice (legislative department), New Delhi.

TRIBAL PANCHAYAT SYSTEM IN TELANGANA STATE-AN OVERVIEW

- Dr. BASANI LAVANYA

Introduction

Telangana government recently increased Tribal reservation 10 percentage. This reservation play major role in the development of the tribal's in the state. The tribal population of India (104 million) is larger than that of any other country in the world. "Tribal people in India are called "adivasi".

Adivasi is an umbrella word for a heterogeneous set of ethnic and tribal groups considered the aboriginal population of India. Even though terms such as atavika, vanavasi ("forest dwellers"), or girijan ("hill people") are also used for the tribes of India, adivasi carries the explicit meaning of being the unique and autochthonous

inhabitants of a given region and was specifically coined for that purpose in the 1930s. Over time, unlike the terms "aborigines" or "tribes", the word "adivasi" has developed a connotation of past autonomy which was disrupted during the British colonial period in India and has not been restored. They generally live outside the mainstream of Indian Hindu and Muslim society. Most ordinary Indians had known little about them¹⁷.

KOYA TRIBE PAN HAYAT SYSTEM

Among the Koyas, if anyone breaches their tribal customary rule, the village community takes a corrective action by imposing penalties like fine upon the wrong doer and then worships the deities to avoid the calamities expected to follow because of the anger of the supernatural beings. On the other hand such beliefs and practices ensure social discipline and conformity. Functioning of traditional institutions of social control among the Koya reflects that both secular and sacerdotal leaders play a major role in the village through the traditional village council which effectively manages inter and intra village disputes and awards punishments and rewards. The

traditional head of the Koya village is called "Peda" around whom the leadership, both political and social revolves and the post is hereditary. He occupies a key place and enjoys certain prerogatives which make him virtually all powerful in a village. He functions as the secular headman in addition to his religious duties. He takes decisions in customary matters of his village. He sits with the village elders and the parties involved in a dispute - each party sitting on one side to conduct hearing and decide the cases. The **Peda** also sits in the Kula Panchayat of a particular clan, even though he is not a member of that clan to discuss and decide disputed matters relating to commitment of incest within the clan. A decision made by the Peda is never challenged. If a Peda becomes unpopular for some reason, the villagers sit together and select another headman. The people of Koya village sit together once a year to discuss about the headman's activities. The headman sits and listens to what his people say. If he is accused or criticized for any reason, he is given a chance to defend himself. This occasion is known as **Peda Gudma**. When a new Peda is chosen, the villagers hold a. A new cloth is wrapped around the new Peda's head like a turban by the village priest and he is led to the seat of village goddess to

swear to remain just and good².

Gond Political System

The Gonds of Odisha and Telangana have no formal kin based hierarchical political organization, to treat the disagreements; however, they are not without leaders. Their solidarity does not extend beyond the subsection. The Gond village community forms the basic political unit through its village council.

This village level democratic organization is headed by 'Majhi' (headman). The other members of the village council are chosen by the villagers. Its officials are the village chief, priest, and watchman, four or five co-opted elderly members representing the lineages inhabiting the village. All sorts of disputes are discussed and resolved by the village council. Each Gond village has its own service giving "caste groups" such as the Ahir (cowherd), Agria (blacksmith), Dhulia (Drummers) and Pradhan (Bards and Singers). In the current political situation the Gond community, despite its numerical strength, is less vocal and less powerful at the decision making process. This is attributed to their disunity and educational and economic

backwardness. Their traditional political structure has been weakening due to modern Panchayat raj system. The social esteem of the traditional leaders is losing grounds. They are being marginalized at the rise of the politically affiliated members representing the Panchayat system³.

Chenchu Political system

Political organization of the village can be divided into two types. 1. Traditional, and 2. Statutory. In this village, like any other tribal village, traditional political system still enjoys supremacy over statutory political authority and there is also a kind of fusion between these two systems. Headman (Peddamanishi) of the village and the members of the Traditional Council involve in dispute resolution. The present headman is also serving as the president of VTDA and also coordinates with the village Sarpanch for the development of the village⁴.

The Tradition of Gwar Panchayat and Naik in Thanda

Every Banjara/ Lambada Thanda has got its own traditional Gwar Panchayat consisting of Naik who is assisted by Karbani, Dhaddi, Bhatts and Navi and a few experienced elders. The

office of Karbani is hereditary and permanent. The Dhaddi, Bhattas and Navi are treated as art castes and they always assisted by Gwar Panchayat, social control is exercised in the Thanda through various sanctions like fine, pressure of public opinion. The Naik or Headman presides over all deliberations and announces the decisions in all the cases which come under his jurisdiction. He represents the collective good will and authority of the community on occasions like marriage, death and on various festivals. Without his presence no function or ceremony is complete. He is responsible for the maintenance of law and order in the Thanda. Generally he personally knows all the people in Thandas and their affairs. Ideally, he is expected to possess the qualities of honesty, truthfulness, integrity, bravery and in addition he must have an understanding of all the problems connected with his Thandas. The post of Naik and Karbani are hereditary but this rule is applied in a flexible manner. Generally, the elder son of Naik succeeds the father but if the Naik thinks that eldest son is not capable of shouldering the responsibility, he may name any other son to

succeed him. Sometimes the people of Thanda themselves may take the initiative and suggest to the Naik whom he should nominate as his successor. In the past the Lambadas used to perform a special ceremony called "Page" during the installation of new Naik. They used to invite all the Naiks of the neighboring Thandas to participate in it. In the presence of those Naiks and villagers, a few Lambadas elders used to place a new turban on the new incumbent to this post. If the Thanda is a very large settlement with many streets, each street may have its own Naik and above each of them there is another Naik for the entire settlement called Pedda Naik (Elder Naik). If the settlement contains people of other castes as well very frequently they have their own heads called 'Kulapedda' or 'Pedda Manishi'. When Panchayat considers any case concerning the village as a whole these heads are also invited to take part in the deliberations. Any person can approach the Nayak to convene a meeting of the Panchayat to settle a dispute in which he is interested. In many Thandas in the past even police could never interfere with their internal matters because the Naik and village

elders could enforce their decision effectively. The Gwar Panchayat takes important decision to settle the disputes of Thandas in matter related to adultery, elopement, divorce, and theft. On careful analysis and observation the following reasons for slackening of the traditional Gwar Panchayat political organization were found.

1. Frequent interference of the non Banjara leader in Gwar Panchayat deliberations.

2. In dispute settlement with Banjaras of the Thanda, the caste leaders take lead in solving disputes and most of the Banjaras do visit caste leaders instead of approaching Gwar Panchayat, Hence the traditional Naiks have become nominal. Due to the increased individualistic attitude and un-manifested factionalism people have started defying judgment given by Gwar Panchayat.

3. Educated young Banjaras do not like to fulfill the traditional way of providing liquor and non-vegetarian food to the members of traditional council during the process of disputes settlement.

**State Government Schemes-
Economic Support:**

Self Employment Schemes : ST beneficiaries identified and registered in OBMMS (Online Beneficiary Monitoring & Management System) for taking up Economic Support Activities.

Own Your Car Scheme/Driver Empowerment Scheme: The programme includes skill enhancement of the drivers through Maruthi Driving School, assistance for placement through Uber and financial assistance for vehicle purchase.

Borewell Drilling and Energization support for ST Farmers. (ORC) To provide financial support to ST Farmers to meet the pending demand towards service connections/security deposit charges, service line charges, ORC in coordination with DISCOMS.

Land Development Scheme for STs“Giri Vikasam” To convert the uncultivable agricultural lands of small & marginal ST farmers into cultivable lands for the sustainable agriculture development of the STs in the State by providing facilities like irrigation, drip etc., under this scheme as the majority of ST lands are uncultivable and fallow due to lack of proper irrigation

Conclusion

Telangana Government has created Thanda/Gudem Gram Panchayats under 2018 panchayat act Telangana henceforth new Gram Panchayats are providing self rule among the tribal communities all over the state. Empowerment of Gram Sabhas would require efforts at mobilization of the village community to ensure mass participation in

meetings of the Gram Sabha. Further, a massive awareness generation programme needs to be taken up to inform Gram Sabhas about their rights in respect of planning, implementation and audit of development programmes with respect to control over natural resources, land records and conflict resolution has to be taken up on a massive scale.

- Dr. BASANI LAVANYA

Post-Doctoral Fellow Department of Political Science
Kakatiya University, Warangal, Telangana-506005

Mob. 9160975164

References :

1. https://factsanddetails.com/india/Minorities_Castes_and_Regions_in_India/sub7_4h/entry-4216.html retrieved dated 29-6-2022.
2. <https://tribal.nic.in/repository/ViewDoc.aspx?RepositoryNo=TRI28-08-2017121847&file=Docs/TRI28-08-2017121847.pdf>. Retrieved date 12.9.2022.
3. <http://kbk.nic.in/tribalprofile/Gond.pdf> Retrieved date 12.9.2022.
4. <http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2021%20Issue5/Version5/H2105054850.pdf>. Retri

भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

- डॉ. मोहनलाल आर्य

सार :

वैदिक शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर है। उसी के आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है। वैदिक शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति पर आधारित थी और संस्कृति से हम अलग हो नहीं सकते हैं। उसके ग्रहणीय तत्वों को ही उसके गुण मानते हैं और त्याज्य

तत्वों को दोष। उसके ग्रहणीय तत्वों में मुख्य हैं— निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा के व्यापक उद्देश्य, व्यापक पाठ्यचर्या, गुरु—शिष्यों के बीच सम्बन्ध और शिक्षण संस्थाओं की संस्कार प्रधान पद्धति। बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली अपने समय की संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी परन्तु आज के भारतीय समाज के स्वरूप एवं उसकी भविष्य की आकांक्षाओं की दृष्टि से उसके

कुछ तत्व ग्रहणीय हैं। बौद्ध काल में एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यदि उसने कुछ अनुकरणीय पद चिन्ह अवश्य छोड़े हैं बस उन्हीं को हम आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास में उसका योगदान मान सकते हैं। मध्य काल में मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहते हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली इसलिए कि यह मुस्लिम धर्म और संस्कृति पर आधारित थी। आज देश की शिक्षा व्यवस्था में राज्य और समाज का सहयोग, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, योग्य एवं निर्धन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था और समस्त ज्ञान विज्ञान की उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है।

मुख्य शब्दावली :

वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल, शिक्षा व्यवस्था।

प्रस्तावना :-

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधताओं के कारण भारतीय सभ्यता संसार की एक प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता का गौरवपूर्ण इतिहास वैदिक ग्रन्थों में है। यह सम्पदा कितनी पुरानी है यह कहना कठिन है, वेदों ने ही सम्पूर्ण धरती को मानव सभ्यता और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया है, न केवल भारत अपितु विश्व की समस्त मानव जाति के लिए हमारा यह सांस्कृतिक धन एक आकर्षण का विषय बना है। वेदों का चिन्तन एवं मनन मोक्षमार्गीय है। वेद सभी को 'जिओ और जीने दो' का उपदेश देते हैं। भारतीय वेद संसार के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। वेदों की रचना कब और किस विद्वान ने की इस पर भी सभी विद्वान एक मत नहीं हैं। जर्मन विद्वान मैक्समूलर एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले आकर इस विषय पर शोध कार्य किया उनके अनुसार सबसे पहला और प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और इसकी

रचना 1200 ई. पू. में हुई थी। हमारे देश में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था वेदों की संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध एवं परिमार्जित थी। उनकी विषय – सामग्री इतनी विविध, विस्तृत एवं उच्च कोटि की है कि उस समय इनके विकास में काफी समय अवश्य लगा होगा। वैदिक काल में लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन बच्चे का विद्यालय संस्कार किया जाता था। यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा कराया जाता था। 12 वर्ष की आयु पर बच्चों का गुरुकुलों में प्रवेश होता था जिसमें ब्राह्मण बच्चों का 8 वर्ष की आयु पर, क्षत्रिय बच्चों का 10 वर्ष की आयु पर और वैश्य बच्चों का 12 वर्ष की आयु पर। गुरुकुलों में प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद उनकी शिक्षा प्रारम्भ होती थी। वैदिक काल में शिक्षा की पाठ्यचर्या को दो स्तरों में विभाजित किया गया था प्रारम्भिक और उच्च। वैदिक काल में प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यचर्या में भाषा, व्याकरण, छन्दशास्त्र और गणना का सामान्य ज्ञान और सामाजिक व्यवहार एवं धार्मिक क्रियाओं के प्रशिक्षण को स्थान प्राप्त था। वहीं उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या के अन्तर्गत संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण तथा धर्म एवं नीतिशास्त्र की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षण सामान्यतः मौखिक रूप में होता था और प्रायः प्रश्नोत्तर, शंका-समाधान, व्याख्यान और वाद-विवाद द्वारा होता था। अतः इस काल में निम्नलिखित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था – 1. अनुकरण विधि, 2. व्याख्यान एवं दृष्टान्त विधि, 3. प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद और शास्त्रार्थ विधि, 4. कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, 5. श्रवण, मनन, निदिध्यासन विधि, 6. तर्क विधि और 7. कहानी विधि। वैदिक काल में अति विद्वान, स्वाध्यायी, धर्मपरायण और सचरित्र व्यक्ति ही गुरु हो सकते थे। उस समय इन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। गुरुओं को धियावसु (जिनकी बुद्धि ही धन

हो), सत्यजन्मा (सत्य को जानने वाला) और विश्ववेदा (सर्वज्ञ) आदि विशेषताओं से सम्बोधित किया जाता था। ये अपने गुरुकुलों के पूर्ण स्वामी होते थे, परन्तु पूर्ण स्वामित्व के साथ पूर्ण उत्तरदायित्व जुड़ा था। गुरु अपने गुरुकुलों की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। गुरु अपने शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्रादि की व्यवस्था करते थे, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करते थे और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न करते थे।

यूरोपीय एवं पश्चिमी देशों से आये आर्यों ने नीग्रो व द्रविडों के साथ धोखा करके उनकी सभ्यता व संस्कृति को न केवल नष्ट किया बल्कि उन्हें अपना दास बना लिया था। कर्म आधारित व्यवस्था को परिवर्तित कर जन्म आधारित व्यवस्था भारत में फलीभूत होने लगी। उसके बाद ई.पू. 563 में भारत की इस पुण्य भूमि पर महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ। यँ तो उनका जन्म राजघराने में हुआ था और उन्हें सभी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध थीं परन्तु उन्होंने लोगों के सांसारिक दुःखों की अनुभूति की। उन्होंने इन दुःखों से छुटकारा पाने के उपाय खोजने के लिए तपस्या की और कर्मकाण्ड प्रधान वैदिक धर्म के स्थान पर कर्मणा प्रधान मानवतावादी बौद्ध धर्म की स्थापना की। महात्मा बुद्ध ने अपना यह धम्मपदेश सर्वप्रथम सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। देश के विभिन्न भागों में बौद्ध मठों और विहारों का निर्माण हो गया था। बौद्ध काल में प्रारम्भिक शिक्षा के द्वार सभी वर्गों के लिए खुलने पर समाज के वंचित वर्ग अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने को लालायित दिखे क्योंकि वैदिक कालीन व्यवस्था में शिक्षा सभी वर्गों के लिए नहीं थी। बौद्ध काल में शिक्षा व्यवस्था बौद्ध मठों एवं विहारों में दी जाती थी। यह 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। प्रवेश के समय बच्चों का पबज्जा संस्कार होता था। बौद्ध ग्रन्थ महाबग्ग में इस विधि का विस्तार से वर्णन मिलता है। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु एक

प्रवेश परीक्षा होती थी और योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। यह शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु पर शुरू होती थी और 20-25 वर्ष की आयु तक चलती थी। बौद्ध काल में जिस बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसके उद्देश्य एवं आदर्श अति व्यापक थे। यँ तो ये सामान्यतः वही थे जो वैदिक शिक्षा प्रणाली के थे परन्तु इनमें कुछ भिन्नता थी। यहाँ उन सभी को आज की शिक्षा व्यवस्था में निम्नलिखित रूप में प्रयुक्त करते हैं—मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, सामाजिक आचरण की शिक्षा, ज्ञान का विकास, चरित्र निर्माण एवं बौद्ध धर्म की शिक्षा। बौद्ध कालीन शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों एवं विहारों में होती थी चूँकि उस समय बौद्ध शिक्षा, बौद्ध संघों के नियन्त्रण में थी बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या को हम दो आधारों पर देख सकते हैं। एक उसके स्तरों (प्राथमिक, उच्च और भिक्षु) के आधार पर और दूसरे उसकी प्रकृति (लौकिक एवं आध्यात्मिक) के आधार पर। इस काल में बौद्ध भिक्षुओं ने मुख्य ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार कर दी थीं। उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों को पाली भाषा में अनुवाद भी कर दिये थे और इन सबको पुस्तकालय में सुरक्षित रखा था। अतः मुख्य रूप से इस काल में निम्नलिखित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था — 1. प्रश्नोत्तर विधि, 2. अनुकरण विधि, 3. व्याख्या विधि, 4. वाद-विवाद एवं तर्क विधियाँ, 5. व्याख्यान विधि, 6. सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ, 7. प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि और 8. देशाटन। बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षु ही शिक्षण कार्य करते थे और जो बौद्ध भिक्षु शिक्षण कार्य किया करते थे उन्हें उपाज्जायय (उपाध्याय) कहा जाता था। इस काल में उपाध्याय अति विद्वान, आत्मसंयमी और चरित्रवान होते थे। भिक्षु बौद्ध उपाध्याय अपने शिष्यों (श्रमणों) के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करते थे, उनका ज्ञानपर्दघन करते थे। वही शिक्षार्थी को श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था। ये बौद्ध मठों एवं विहारों के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। इन्हें मूल रूप

से दस आदेशों का पालन करना होता था – 1. अहिंसा का पालन करना, 2. निन्दा न करना, 3. सत् आहार लेना, 4. सत्य बोलना, 5. मादक पदार्थों का सेवन न करना, 6. पराई वस्तु ग्रहण न करना, 7. श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, 8. सोना, चाँदी, हीरा, जवाहरात आदि कीमती दान न लेना, 9. शुद्ध आचरण करना और 10. नृत्य एवं संगीत आदि से दूर रहना ।

हमारे देश में प्राचीन काल, मध्य काल के आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम नाम परसिया के राजा साइरस (538 ई.पू. – 530 ई.) का आता है। इसके बाद मैसोडोनिया के राजा सिकन्दर ने 327 ई.पू. में आक्रमण किया था। सन् 1192 में उसने 11वीं बार आक्रमण किया और सीमावर्ती राज्यों को रौंदता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली के तत्कालीन हिन्दू राजा पृथ्वीराज चौहान से उसका तराइन के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ। वह स्वयं तो यहाँ से लूट का भारी माल लेकर अपने देश लौट गया परन्तु अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बना कर चला गया और फिर यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। मध्यकालीन में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से मकतबों और उच्च शिक्षा की शिक्षा मदरसों में होती थी। इसके अतिरिक्त खानकाहें, दरगाहों, कुरान स्कूल, फारसी स्कूल, फारसी-कुरान और अरबी स्कूलों की व्यवस्था भी थी। मध्यकाल का सर्वप्रमुख उद्देश्य एक आदर्श इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करना था। इसके साथ-साथ इसमें ज्ञान के विकास, कला-कौशल के प्रशिक्षण और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति पर भी बल दिया गया था। मुस्लिम शिक्षा के इन सब उद्देश्यों एवं आदर्श को हम आज की शिक्षा व्यवस्था में निम्नलिखित रूप में प्रयुक्त करते हैं – 1. इस्लाम संस्कृति का प्रसार एवं प्रचार, 2 नैतिक एवं चारित्रिक विकास, 3. ज्ञान का विकास, 4. शासन के प्रति बफादारी, 5. कला-कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा

और 6. सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी— प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक स्तर पर सभी विषय अनिवार्य रूप से पढाये जाते थे इसके अन्तर्गत लिपि ज्ञान, कुरान शरीफ का 30वां भाग, लिखना, पढना, अंकगणित, पत्र लेखन, बातचीत और अर्जीनवीसी पढाई-लिखाई और उच्च स्तर पर अरबी एवं फारसी के अतिरिक्त अन्य विषय वैकल्पिक रूप से पढाये जाते थे इसके अन्तर्गत लौकिक और धार्मिक दो प्रकार का पाठ्यक्रम होता था। मध्यकालीन शिक्षा में इस्लाम धर्म को मानने वाले, अरबी और फारसी के विद्वान अपने विषय के अच्छे जानकार व्यक्ति ही शिक्षक पद पर नियुक्त किए जाते थे। वही शिक्षार्थियों को मकतब तथा मदरसों में शिक्षकों को कठोर अनुशासन में रहना होता था, उन्हें किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं थी, पर मध्य काल में वे वैदिक एवं बौद्ध काल की तरह कठोर जीवन नहीं जीते थे, आरामदायक जीवन जीते थे। छात्रावासों में कालीनों पर सोते थे और भोजन स्वादिष्ट होता था।

प्राचीन कालीन शिक्षा के उद्देश्य :

1. वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण को जान सकेंगे।
2. वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली की संरचना एवं संगठन का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
3. वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन आदि को समझ सकेंगे।
4. वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में समझ सकेंगे।
5. वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य शिक्षा केन्द्रों के बारे में जान सकेंगे।

निष्कर्ष :

अतः कहा जा सकता है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर है। उसी के आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है। वैदिक शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति पर आधारित थी और संस्कृति से हम अलग हो नहीं सकते हैं। उसके कुछ तत्व ग्रहणीय हैं और कुछ तत्व त्याज्य हैं। उसके ग्रहणीय तत्वों को ही उसके गुण मानते हैं और त्याज्य तत्वों को दोष। उसके ग्रहणीय तत्वों में मुख्य है – निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा के व्यापक उद्देश्य, व्यापक पाठ्यचर्या, गुरु-शिष्यों के बीच सम्बन्ध और शिक्षण संस्थाओं की संस्कार प्रधान पद्धति। बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली अपने समय की संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी परन्तु आज के भारतीय समाज के स्वरूप एवं उसकी भविष्य की आकांक्षाओं की दृष्टि से उसके कुछ तत्व ग्रहणीय हैं। बौद्ध काल में एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली कही गयी। यह अपने कुछ अनुकरणीय पद चिन्ह अवश्य छोड़ गई है बस उन्हीं को हम आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास में उसका योगदान मानते हैं। मध्य काल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। यह मुस्लिम धर्म और संस्कृति पर आधारित थी। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का भी काफी योगदान है। आज सम्पूर्ण देश में जो मकतब और मदरसे दिखाई दे रहे हैं, वे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के अवशेष हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमें देखने को मिल रहे हैं जैसे— शिक्षा की व्यवस्था में राज्य और समाज का सहयोग, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, योग्य एवं निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था और समस्त ज्ञान

— डॉ. मोहन लाल 'आर्य'

आचार्य—शिक्षा विभाग

आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (उ.प्र.)

मोबा. 9412143884

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. 'आर्य', डॉ. मोहनलाल (2017) शिक्षा के ऐतिहासिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, मेरठ : आर. लाल. बुक डिपो।
2. 'आर्य', डॉ. मोहनलाल (2018) शिक्षा के ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य, मेरठ: आर. लाल. बुक डिपो।
3. मैरी, डॉ. शीलू (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, नई दिल्ली: रजत प्रकाशन।
4. शुक्ला, डॉ. सी. एम. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, मेरठ : इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस।
5. वालिया, डॉ. जे. एस. (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, मेरठरू अहमपाल पब्लिशर्स।
6. लाल, डॉ. रमन बिहारी (2009) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, मेरठ : राज प्रिन्टर्स।

पेरियार ई.वी. रामासामी का एक तमिल राष्ट्रवादी और समाज सुधारक के रूप में विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन

— अनुराधा

— गुंजन त्रिपाठी

सार — ई.वी. रामासामी द्रविड आन्दोलन की राजनीति के बड़े नायकों में से एक थे। पेरियार ने ताउम्र हिन्दू धर्म और ब्राह्मणवाद का जमकर विरोध किया। उन्होंने तर्कवाद, आत्म-सम्मान और महिला समानता एवं अधिकार जैसे मुद्दों पर जोर दिया। पेरियार ने जातिप्रथा का घोर विरोध किया लेकिन पेरियार ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनको लेकर अक्सर विवाद भी होता रहा। सच्ची रामायण भी पेरियार की काफी विवादित कृति रही है। ऐसे में पेरियार को लेकर भी किसी निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले धारणा बनाने से पहले उन्हें और पढ़े जाने की जरूरत है।

की-वर्ड्स—हिन्दू धर्म, तर्कवाद, अंधविश्वास, आत्मसम्मान, वैकोम आन्दोलन, जातिप्रथा आदि।

पेरियार ई.वी. रामासामी भारतीय राजनीति की

सबसे विवादित हस्तियों में से एक हैं। तमिलनाडु के सामाजिक, राजनीतिक हालात पर पेरियार पर काफी गहरा असर पड़ा। पेरियार द्रविड आन्दोलन के बड़े नायकों में से एक थे। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कई ऐसे काम किये जिसका खास उद्देश्य था। पेरियार की राजनीति को उत्तर भारत के सन्दर्भ में देखेंगे तो पेरियार के कई काम हैं जो हमें आपत्तिजनक लग सकते हैं क्योंकि जिनके लिये भी हिन्दू देवी-देवता आराध्य हैं उन्हें पेरियार की राजनीति ठीक नहीं लगेगी और खुद पेरियार के लोगों ने आखिरी दौर में उनका साथ छोड़ दिया था। पेरियार ने ताउम्र हिन्दू धर्म और ब्राह्मणवाद का जमकर विरोध किया। उन्होंने तर्कवाद, आत्म-सम्मान और महिला समानता एवं अधिकार जैसे मुद्दों पर जोर दिया। पेरियार ने जातिप्रथा का घोर विरोध किया। यूनेस्को ने अपने उद्घरण में उन्हें नये युग का पैगम्बर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार आन्दोलन का पिता, अज्ञानता अंधविश्वास और बेकार की रीति-रिवाज का दुश्मन कहा था।

लेकिन पेरियार ने कुछ ऐसी बातें कही जिनको लेकर अक्सर विवाद भी होता रहा है।

पेरियार एक तमिल राष्ट्रवादी – पेरियार के लिये समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि हिन्दुत्व की आस्थायें या उनसे जुड़े आडंबरों से भरपूर या वे पूरी तरह से अतार्किक हैं। बल्कि यह थी कि हिन्दुत्व ने चतुराई पूर्वक राष्ट्रवाद का नया रूप धारण कर लिया है। पेरियार का कहना था कि राष्ट्रवाद का दबदबा, उसका बढ चढकर प्रचार, आस्था की भाषा को नई जमीन देना था, जो काफी खतरनाक था। हिन्दुत्व ने राष्ट्र के नाम पर एक जादुई वातावरण तैयार कर लिया है और राष्ट्रवाद पर इतने तीव्र और जोशीले अंदाज में विचार किया जाता है कि उसकी आलोचना असंभव हो जाती है। वे सामाजिक दुनिया जो उनके लिये कृत्रिम भारतीय राष्ट्र का निर्माण करती थी। हालांकि उन्होंने स्वराज दमनकर विदेशी शासन से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया था लेकिन वे सामाजिक सरोकार पर चर्चा करने को तैयार नहीं थे।

ना ही वे पुराने उत्पीडन सामाजिक रीति रिवाजों, जाति, लैंगिक और वर्गीय भेदभाव से मुक्ति को लेकर कोई सवाल उठाते थे।

जाति व्यवस्था के खिलाफ थे पेरियार – इरोड वेंकट रामासामी नायकर जाति व्यवस्था के घोर खिलाफ थे। 1904 में पेरियार काशी गये, जहां हुई एक घटना ने उनका जीवन ही बदल दिया तबसे पेरियार कट्टर नास्तिक हो गये थे। दरअसल एक बार पेरियार को भूख लगी तब वे एक जगह हो रहे निःशुल्क भोज में चले गये। जहां पर उन्हें पता चला कि यह भोज सिर्फ ब्राहमणों के लिये था। उन्होंने वहां भोजन पाने की कोशिश की लेकिन उन्हें धक्का मारकर अपमानित किया गया। इसके बाद से ही पेरियार रूढ़िवादी हिन्दुत्व के विरोधी हो गये। उन्होंने किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया और आजीवन नास्तिक रहे।

आत्मसम्मान आन्दोलन – पेरियार और उनके समर्थकों ने समाज में व्याप्त असमानता कम करने के लिये अधिकारियों और सरकार पर सदैव दबाव डालते रहे। 1925 में सयामरियाति इयक्कम या आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना से समाज सुधार सम्बंधी अपने विचारों को निश्चित स्वरूप प्रदान किया। यह आंदोलन गैर ब्राहमणों को अपने प्राचीन द्रविड भावना के गौरव की स्मृति दिलाने के उद्देश्य से प्रेरित सुधार आंदोलन था। इसने ब्राहमणों की श्रेष्ठता को अस्वीकार किया। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह बदलने और जाति, धर्म के भेदभाव से रहित सभी व्यक्तियों की एकता का ऐसा जीवन सूत्र बनाने की मांग की जिसमें अछूत भी शामिल थे। हिन्दूवाद के धर्म सिद्धांतों को अस्वीकार करना इसका एक प्रमुख विचार था।

हिन्दी भाषा का विरोध – सी. राजगोपालाचारी 1937 में जब मद्रास प्रेजीडेंसी के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने स्कूलों में हिन्दी भाषा की पढाई को अनिवार्य कर दिया। जिसकी वजह से हिंदी विरोधी आंदोलन उग्र हो गया। तमिल राष्ट्रवादी नेताओं, जस्टिस पार्टी और पेरियार ने हिन्दी विरोधी आंदोलन का आयोजन किया

जिसके फलस्वरूप 1938 में कई लोग गिरफ्तार किये गये। उसी साल पेरियार ने एक नारा दिया था तमिलनाडु तमिल के लिये। यह नारा उन्होंने हिन्दी के विरोध में दिया था। उनका मानना था हिन्दी लागू होने के बाद तमिल संस्कृति नष्ट हो जायेगी और तमिल समुदाय उत्तर भारतीयों के अधीन हो जायेगा।

जस्टिस पार्टी और द्रविड कडगम – 1916 में साउथ इंडियन लिबरेशन एसोसिएशन एक राजनैतिक दल की स्थापना हुई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मण सम्प्रदाय की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विरोध और गैर ब्राह्मणों का सामाजिक उत्थान। यही संस्था बाद में जस्टिस पार्टी बन गयी थी। जनसमूह का समर्थन हासिल करने के लिए गैर ब्राह्मण राजनेताओं ने गैर ब्राह्मण जातियों में समानता की विचारधारा को प्रसारित-प्रचारित किया। हिन्दी विरोधी आंदोलन में पेरियार ने 1937 में जस्टिस पार्टी की मदद ली थी। जब जस्टिस पार्टी कमजोर पड गयी तब पेरियार ने इसका नेतृत्व संभाला और हिंदी विरोधी आंदोलन के जरिये इसे सशक्त बनाया। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड कडगम कर दिया। द्रविड कडगम ने हिन्दी विरोध, ब्राह्मण रीति-रिवाज और कर्मकांड के विरोध दलित अस्पृश्यता के उन्मूलन, महिला मुक्ति, महिला शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह निषेध जैसे सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित किया।

पेरियार के विवादास्पद कार्य एवं उनकी आलोचना – पेरियार भारतीय राजनीति की विवादित हस्तियों में से एक है। तमिलनाडु के भीतर कोई भी पार्टी खुले रूप में पेरियार की आलोचना नहीं कर सकती। वो पेरियार ही थे जिन्होंने द्रविड आंदोलन की ओर डी.एम.के. ए.आई.ए.डी.एम.के. और एम.डी.एम.के. इसी आंदोलन की पैदाइश है। हिन्दू धर्म की कुरीतियों पर इतनी मुखरता से पेरियार ने अपनी बात रखी कि बहुत से लोगों को यह उनकी आस्था पर प्रहार लगा। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें लेकर विवाद होता

रहा। उनकी कुछ विवादित बातें इस प्रकार हैं—

सच्ची रामायण को लेकर विवाद – सच्ची रामायण पेरियार की सबसे चर्चित एवं विवादित कृति है। पेरियार की नजर में रामायण एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि राजनीतिक ग्रंथ है, कपोल कल्पना पर आधारित है। जिसकी रचना का मूल उद्देश्य अनार्यों पर आर्यों, बहुजनों पर द्विजों और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व की कहानी प्रस्तुत करती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – पेरियार अपनी मान्यताओं का पालन करते हुए मृत्युपर्यन्त जाति और हिंदू धर्म से उत्पन्न असमानता और अन्याय का विरोध करते रहे। अपनी मृत्यु से ठीक दो वर्ष पूर्व अपनी स्थिति को साफ करते हुये उन्होंने लिखा था – यद्यपि मैं पूरी तरह जाति को खत्म करने को समर्पित था लेकिन जहां तक इस देश का संबंध है, उसका एकमात्र निहितार्थ था कि मैं ईश्वर, धर्म, शास्त्रों तथा ब्राह्मणवाद के खात्मों के लिए आंदोलन करूँ। जाति का समूल नाश तभी संभव है जब इन चारों का नाश हो। वे जाति को मजबूती प्रदान करते हैं। पेरियार ने धर्म की प्रसांगिकता, सभी दावों, तर्कों पर बुद्धिसंगत आलोचना एवं समीक्षा द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया। पेरियार द्वारा धर्म की आलोचना विशेष रूप से हिन्दू धर्म की आलोचना उनके नास्तिक होने तक सीमित कर दी जाती है। पेरियार का मानना था कि धर्म जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन को न्यायोचित ठहराता है। पेरियार कम्युनिष्ट से लेकर दलित आंदोलन विचारधारा, तमिल राष्ट्रभक्त से तर्कवादियों और नारीवाद की ओर झुकाव वाले सभी उनके अपने मार्गदर्शक के रूप में देखते थे।

यें बातें मुझे काफी आलोचनात्मक लगी। एक तरफ तो पेरियार ईश्वर, देवी-देवता कपोल कल्पना बताते हैं दूसरी तरफ उनका घृणित वर्णन करते हैं। अगर उनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है तो राम-सीता के चरित्र पर सवाल कैसे उठाये गये है। किसी भी धर्म को न मानना गलत नहीं है। संविधान ने भी हमें अनुच्छेद 25 के अनुसार अन्तःकरण की स्वतंत्रता

और किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान की हैं लेकिन अन्य धर्म का अनादर करना, देवी-देवताओं का अपमान करना, उनके चरित्र पर अभद्र टिप्पणी करना गलत है।

गुन्जन त्रिपाठी

राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष एवं एसो. प्रो.
मुन्ना लाल एवं जयनारायण खेमका
गर्ल्स कॉलेज, सहारनपुर
मोबा. 9456671970

अनुराधा

असिस्टेंट प्रोफेसर – राजनीति विज्ञान
कमला आर्य कन्या पी.जी. कॉलेज, मिर्जापुर
मोबा. 8887588340

दलित संदर्भ और 'क्रौंच हूँ मैं'

– डॉ. दिलीप मेहरा

'क्रौंच हूँ मैं' काव्य संग्रह के रचनाकार प्रसिद्ध दलित साहित्यकार श्योराज सिंह 'बेचैन' है। इस काव्य संग्रह में कवि के जीवन की कुछ कम भागदौड़ और अपेक्षाकृत व्यवस्थित क्षणों की रचनाएं हैं। प्रस्तुत काव्य संग्रह में कुल मिलाकर 80 कविताएं संग्रहित हैं। इस काव्य संग्रह के बारे में कथाकार जयप्रकाश कर्दम का कथन उल्लेखनीय है – 'श्योराज सिंह 'बेचैन' मुझे मूलतः दलित, शोषित संवेदना के समर्थ शब्द शिल्पी लगते हैं।'

काव्य संग्रह में संकलित कविताएं आम आदमी से गुजरती हुई नजर आती है। कुछ कविताओं में समाज में व्याप्त कुरीतियों, जातिभेद, अंधविश्वास आदि जनमानस की समस्याओं को उजागर करती है। अधिकतर कविताओं में कवि ने व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है। श्योराज सिंह 'बेचैन' अपनी 'प्रगति' नामक कविता में

शोषित, पीड़ित लोगों की वकालत करते हुए लिखते हैं—

'शोषितों की हड्डियों पर,
हो रही कब्बडी आज
सुविधा भोगी प्रगति की दौड़ बतलाते हैं।
दुल्हिन स्वतंत्रता,
जवान से अधेड़ हुई
है सुहागिनी परंतु
बांझ बतलाते हैं।'

बेचैन जी 'किधर जाएंगे हम' कविता में भी भटकते हुए मनुष्य की पीड़ा को उजागर किया है। आज मनुष्य दिशाहीन एवं मूल्यहीन हो चुका है। आज सामान्य वर्ग इतना पीड़ित और शोषित है कि कहां जाए? किधर जाए? किससे पूछें? कोई जवाब नहीं मिलता है। दिशाहीन अनेक व्यक्तियों की पीड़ा को उजागर करते हुए बेचैन जी उक्त कविता में लिखते हैं—

बहुत सारे रास्ते हैं,
एक भी मंजिल नहीं।
मुश्किलें हैं पर्वतों सी
राई जैसे हल नहीं।
क्या पडावों ही पडावों में
गुजर जाएंगे हम
सब खुले आयाम हैं
जाने किधर जाएंगे हम
यह धुआँ में जहर
घुलता कह रहा
मौत कोसों दूर होगी
और मर जाएंगे हम।'

प्रस्तुत काव्य संग्रह में 'तुम्हारी दुनिया है' कविता में कवि ने अछूतों की पीड़ा को उजागर करने का प्रयत्न किया है। जिस प्रकार सवर्ण समाज निम्न समाजों की उपेक्षा करता है। उसके साथ मुख्य धारा का समाज बुरा व्यवहार करता है। उसी का संकेत करते हुए कवि कहता है कि—

दुनिया तो तुम्हारी दुनिया है।

मैं मुल्क—

बदर, मेरा क्या है?

घर में भी तो

जैसे परदेसी

मेरे दिल की—

कीमत खाक यहां

मेरे सपनों की ऐसी तैसी

मैंने जिस्म अछूतों—सा पाया

मेरा जेहन है क्या

मेरा दिल क्या है?⁴

हिंदुस्तान में दलितों की उपेक्षा सदियों से हो रही है। अतः कोई नई बात नहीं। उसी ओर कविता का संकेत रहा है। अपने ही देश में निम्न वर्ग पराए की तरह रह रहा है। उसका कोई वजूद नहीं है। मात्र उसको शोषित, पीड़ित करने का ही मकसद रहा है। कवि ने भगवान पर भरोसा रखने वालों को भी लताड़ा है। वे 'कुछ भी नहीं बदलेगा' कविता में लिखते हैं—

तुम बैठी रहो—

हाथ पर हाथ रखे हुए,

भगवान आएगा

तुम्हारी नौकरी

तुम्हारी शादी

और घर की कैद से

तुम्हारी आजादी

दिलाने का प्रबंध करेगा

मुझे नहीं है

किसी की प्रतीक्षा

बैठे—बिठाये

पूरी नहीं हो सकती

इसी कामगार की इच्छा।

मुझे बेचैनी है—

ठहराव के विरुद्ध,

मुझे अहसास है

जीवन में खुद—ब—खुद

कुछ भी नहीं बदलेगा।⁵

कविता में कवि ने नेताओं की पोल खोली है। वे आम जनता को लूटते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं और अपनी झोली भरते रहते हैं। आज नेताओं का नाम लेते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में शोषण खोर, मुफ्तखोर, आम जनता को लूटने वाले व्यक्ति का चेहरा सामने उजागर होता है। कवि अपनी कविता में नेताओं पर व्यंग्य करते हुए 'टिड्डी दल' कविता में लिखते हैं—

टिड्डी दल

खेत खा गए।

पूरी फसल

नदारद है खाली पड़ा है

धरती का सीना।

टिड्डी दल

आते हैं फसल खाते हैं

बाहर से भीतर से

टिड्डी दल

खफा क्यों रहे हैं?

हर पांच साल वोटर से।⁶

कवि बेचैन नेताओं के बारे में आगे भी तंज कसते हुए 'मतदाता' कविता में लिखते हैं—

काश मतदाता मरते रहें,

कटते रहें,

और हम—

करते रहें—

जुगाली।

बाग को—

उजाड़ें,

और—

कहलाएं माली।⁷

कवि सोचता है कि कब हमारे देश में सुधार आएगा? कब शोषित—पीड़ित लोगों से व्यवहार ठीक किया जाएगा? हम अच्छे दिनों की राह देख रहे हैं पर

अच्छे दिन कब आएंगे? और समाज में समता का भाव पैदा कब होगा? इन सभी की चिंता कवि को बार-बार कचोटती है। अतः कवि 'जब तलक आएगी' कविता में इसी चिंता को उजागर करते नजर आते हैं—

वह सदी

जब तलक आएगी इस हाड—

मास के पिंजरे को

बेरोजगार—

को,बेघर को

महंगाई—

गरीबी

बच्चों की गर्दनों

को कसती जाएगी।⁸

कवि समाज में रोशनी लाना चाहता है। अतः समाज को जागृत करने के लिए आह्वान करता है। उनका मानना है कि जो सबको एकजुट होकर सामंती व्यवस्था का विरोध करना चाहिए। वे कहते हैं कि इनके अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे तो परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसलिए वे एक जगह पर कहते हैं—

कुए तालाब में बदलने दो,

दीये मशाल में बदलने दो।

चाल धीमी है, तो भूचाल में बदलने दो।⁹

कवि सामंतवादी सोच को आह्वान देते हैं और समाज में विषमता को दूर करने की वकालत करते हैं। वे मुख्यधारा के समाज को यह बताना चाहते हैं कि हम भले आजाद हो गए हैं लेकिन देश में गुलाम से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। अतः अपने समाज की पीड़ा 'मतदाता' कविता के भाग -2 में वे कहते हैं—

वो मुझे मान भी दें

प्यार भी दें, शोहरत भी

मेरी आजादी न देंगे

तो कुछ नहीं देंगे।¹⁰

निष्कर्षत : हम कह सकते हैं कि सामंतीवादी समाज व्यवस्था का सीधा शिकार तीसरा वर्ग यानी कि

निम्न वर्ग हुआ है। वह क्रॉच है। जो प्रतिनिधि है आज के मूक, उपेक्षित, पहचान हीन, जातीय-हीनता बोध के घेरे में कैद मानव समुदाय है। जो सामन्तवादी शिकारियों के प्रहारों से घायल, उत्पीड़ित, दमित है और कुल मिलाकर वे जिंदा लाश की शकल में आज जिंदा है। ऐसी संख्या एक दो नहीं है बल्कि विशाल जनसमुदाय पूरे विश्व में है। देश भले ही आजाद होता है पर यह लोग बिचारे कभी भी आजाद नहीं होते हैं। वे हमेशा हाशिए में होते हैं, वे हमेशा तड़पते रहते हैं। उन्हीं की पीड़ा का लेखा-जोखा दस्तावेज 'क्रॉच हूं मैं' काव्य संग्रह है।

अंत में अनिल भास्कर जी के कथन से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वे लिखते हैं—'आम आदमी से होकर गुजरती है बेचैन की कविताएं..... समाज में व्याप्त कुरीतियों (जातिभेद), अंधविश्वासों व सामान्य जन समस्याओं का कवि ने निकट से अवलोकन किया है, इन्हें अपनी रचनाओं की रीढ़ बनाया है। व्यंग्यात्मक लहजे में उनकी निराली तस्वीरें खींची है।'¹¹

- डॉ. दिलीप मेहरा

आचार्य

स्नातकोत्तर हिंदी विभाग

सरदार पटेल विश्वविद्यालय,

वल्लभ विद्यानगर, आणंद-गुजरात-389001

मोबा. 8320385549

संदर्भ :

1. क्रॉच हूं मैं, श्योराज सिंह 'बेचैन' सहयोग प्रकाशन नई दिल्ली पृष्ठ-17
2. वही, पृष्ठ-22
3. वही, पृष्ठ-47
4. वही, पृष्ठ-44
5. वही, पृष्ठ-31
6. वही, पृष्ठ-51
7. वही, पृष्ठ-26
8. वही, पृष्ठ-43
9. वही, पृष्ठ-27
10. वही, पृष्ठ-26
11. वही, पृष्ठ-18

मानव, मन और मन के मैल

- * मानव वही कुछ होता है, जो कुछ उसका मन उनको बनाता है।
- * सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिये मन की साधना पहला कदम है।
- * हर बात में मन ही पूर्वागामी है, मन ही मुख्य है।
- * इस चंचल, अस्थिर, दुःरक्ष्य, दुःनिवार्थ मन को मेघावी मनुष्य ऐसे ही सीधा करता है, जैसे बाण बनाने वाला बाण को।
- * अपने आप को द्वीप बनाओं, परिश्रम करो, जब तुम्हारे चित्तमलो का नाश हो जायेगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम दिव्यभूमि को प्राप्त हो जाओगे।
- * जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न जंग लोहे को खा जाता है, उसी प्रकार पापी के अपने कर्म उसे दुर्गति तक ले जाते हैं।
- * संसार किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है, या खुशी से देता है।
- * राग के समान आग नहीं और लोभ के समान ओध (बाढ़) नहीं।
- * दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपने कठिनाई से। आदमी दूसरों के दोषों को तो भूसे की तरह उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को ऐसे छिपाता है जैसे दुष्ट जुआरी गोटी को।
- * सभी पापों से बचो, कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो यही बुद्ध की शिक्षा है।

भवतु सब्ब मंगलम्

पंचशीलानि

पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ।

अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ।

कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ।

मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ।

सुरा-मेरय-मज्ज पमादहाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ।


साधु, साधु, साधु

पंजीयन संख्या

RNI No. MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2021-2023 उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिष्ठा में,



पत्र व्यवहार का पता :

20, बागपुरा, सांवेर रोड,
उज्जैन 456 010 (म.प्र.)

--	--	--	--	--	--

प्रकाशक, मुद्रक पिंकी सत्यप्रेमी ने भारती दलित साहित्य अकादमी की ओर से
मालवा ग्राफिक्स, 29, वररुचि मार्ग, गुरुद्वारे के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन फोन : 0734-4000030 से मुद्रित एवं
20, बागपुरा, सांवेर रोड, उज्जैन 456 010 (म.प्र.) फोन : 0734-2518379 से प्रकाशित ।

सम्पादक : डॉ. तारा परमार